इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2011—आश्विन 22, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2011

क्र. ई-1-340-2011-5-एक.—(1) श्री चन्द्रहास दुबे भाप्रसे (1994), पुनर्वास आयुक्त एवं नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पुनर्वास विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त की सेवाएं अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पद पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सौंपी जाती है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री चन्द्रहास दुबे द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम, 9 के अन्तर्गत उक्त असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में नियमावली 2007 की अनुसूची-II में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

(3) उपरोक्त पद 1 के अनुक्रम में श्री चन्द्रहास दुबे द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. सी. मिश्रा, भाप्रसे (1991) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (1995), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्य राज्य सड़क परिवहन निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

आगामी आदेश तक पुनर्वास आयुक्त एवं नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग एवं पदेन अपर राहत आयुक्त का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2011

क्र. ई-5-558-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद कुमार, आयएएस., श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर को दिनांक 1 से 10 अक्टूबर 2011 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री विनोद कुमार की अवकाश अवधि में श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस., आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विनोद कुमार द्वारा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शैलेन्द्र सिंह, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विनोद कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

क्र. ई-5-372-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) डॉ. पुखराज मारू, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को दिनांक 10 से 14 अक्टूबर 2011 तक, पांच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 अक्टूबर 2011 एवं 15, 16 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. पुखराज मारू की अवकाश की अवधि में श्री संजय कुमार सिंह, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, श्रम विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. पुखराज मारू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. पुखराज मारू द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय कुमार सिंह, श्रम विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. पुखराज मारू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. पुखराज मारू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2011

क्र. ई-5-496-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री अनिल कुमार जैन, आयएएस., विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 सितम्बर 2011 द्वारा दिनांक 28 सितम्बर 2011 से 4 अक्टूबर 2011 तक, सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्र. ई-5-893-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशुतोष अवस्थी, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 19 सितम्बर 2011 से 18 अक्टूबर 2011 तक, तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष अवस्थी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आशुतोष अवस्थी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशुतोष अवस्थी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव ''कार्मिक''.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्र. एफ-13-9-11-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह क्रमांक 1 की इकाई क्रमांक 2 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./3211 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 13 सितम्बर 2011 से 12 दिसम्बर 2011 तक तीन माह के लिए छूट देता है:—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

क्र. एफ-13-10-2011-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, संजय गांधी ताप विद्युत् गृह क्रमांक 3 की इकाई क्रमांक 5 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./4672 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 26 जून 2011 से 25 दिसम्बर 2011 तक छः माह के लिए छूट देता है:—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्र. एफ-7-31-2011-बत्तीस-1.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 सितम्बर 2011 द्वारा श्री मज्जीद भाई को देवास विकास प्राधिकरण, देवास में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था, को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा इन्हें उपाध्यक्ष के पद से पदमुक्त करता है.

(2) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1973 की धारा 40, सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अध्यधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मतीन अहमद शेख पिता श्री वली मोहम्मद शेख को आगामी आदेश तक देवास विकास प्राधिकरण, देवास में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है.

क्र. एफ-3-10-2010-बत्तीस-1, 2.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40(ख) एवं (घ) के अन्तर्गत क्रमशः निम्नांकित पदेन सदस्य रहेंगे:—

(1) कलेक्टर, जिला रतलाम अथवा उसका नामनिर्देशित

(2) आयुक्त, नगरपालिक निगम, रतलाम

(2) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 40(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, रतलाम नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में निम्नलिखित अधिकारियों को शासकीय सदस्य नियुक्त करता है:—

(1) सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला रतलाम. — सदस्य

(2) वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल, रतलाम — सदस्य

(3) कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रतलाम. — सदस्य

(4) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, रतलाम. — सदस्य

(5) कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल, रतलाम. — सदस्य

आशीष सक्सेना, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2011

फा. क्र. 1(सी)-19-11-इक्कीस-ब(दो)-**संशोधन आदेश.**—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेशों दिनांक 9 सितम्बर 2011 में निम्नानुसार संशोधन करती है:—

उक्त आदेश की पंक्ति 03 में जिला अभियोजन अधिकारी के स्थान पर ''विशेष लोक अभियोजन अधिकारी'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है एवं पंक्ति 06-07 में अथवा दो वर्ष की अवधि तक जो भी कम हो तक, शब्द विलोपित किये जाते हैं.

फा. क्र. 1(सी)-19-11-इक्कीस-ब(दो)-**संशोधन आदेश.**—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेशों दिनांक 6 अगस्त 2011 में निम्नानुसार संशोधन करती है:—

उक्त आदेशों के पंक्ति 03 में ''सहायक'' एवं पंक्ति 06 में ''अथवा दो वर्ष की अवधि तक जो भी कम हो तक'' के शब्द विलोपित किये जाते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2011

क्र. एफ-3-85-2011-बत्तीस.—राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 1996) की धारा 17क(1) के अन्तर्गत चाकघाट विकास योजना 2021 हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17-क(2) के अनुसार कार्य करेगी:—

अधिनियम की धारा 17क(1) की उपधारा	पद/व्यक्ति का नाम	संस्था का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगर पंचायत, चाकघाट	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, रीवा	सदस्य
(ग)	सांसद	लोक सभा क्षेत्र, रीवा	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, त्यौंथर	सदस्य
(ङ)	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, त्यौंथर	सदस्य
(छ)	सरपंच	ग्राम पंचायत सतपुरा (सम्मिलित ग्राम सेगरवार)	सदस्य
(ज)	1. प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला रीवा	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इंडिया	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लो.स्वा.यां., ...	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, चाकघाट, जिला रीवा.	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रीवा	समिति संयोजक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

क्र. एफ. 67-274-10-तीन-1642.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत लांजी, जिला बालाघाट** के आम निर्वाचन में **श्रीमती प्रमीला/सतीश मानकर** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर पंचायत लांजी, जिला बालाघाट** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 28 जुलाई 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 28 अगस्त 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी **बालाघाट** के पास दाखिल

किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **बालाघाट** के पत्र क्र. क/424/स्था.निर्वा./10, दिनांक 6 अक्टूबर 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती प्रमीला/सतीश मानकर** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया. उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे 32 (बत्तीस) दिन विलंब से प्रस्तुत किये गये.

विलंब से निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती प्रमीला/सतीश मानकर** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 नवम्बर 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी **बालाघाट** के माध्यम से दिनांक 9 दिसम्बर 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक की स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्रीमती प्रमीला/सतीश मानकर को नोटिस दिनांक 9 दिसम्बर 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक **24 दिसम्बर 2010** तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर, **बालाघाट** ने अपने पत्र दिनांक 28 मार्च 2011 में लेख किया कि "अभ्यर्थी श्रीमती प्रमीला/सतीश मानकर द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुत करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्त होने के पश्चात् भी कोई लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.". **उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत** आयोग द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष दिनांक 29 अगस्त 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर, बालाघाट द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती प्रमीला/सतीश मानकर** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत लांजी, जिला बालाघाट** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, कलेक्टर एवं उपसचिव, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश
(जिला दण्डाधिकारी)

होशंगाबाद, दिनांक 3 मई 2011

पत्र क्र. 6312-सां.लि.-2011.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के पत्र क्रमांक एफ-2(क)-9-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर समिति को दिये गये हैं.

शासन के उक्त निर्देशों के तहत थानों की ग्रामों से दूरी को दृष्टिगत रखते हुए थाना सोहागपुर के निम्नलिखित 10 ग्राम, थाना पिपरिया में तथा थाना पिपरिया के 20 ग्राम, थाना सोहागपुर में सम्मिलित किये जा रहे हैं:—

थाना सोहागपुर के निम्न 10 ग्राम थाना पिपरिया में सम्मिलित करने हेतु

क्रमांक	ग्राम का नाम
1.	खैरी कला
2.	मुहारी कला

थाना पिपरिया के निम्न 20 गांव थाना सोहागपुर में सम्मिलित करने हेतु

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
1.	ताला खेडी	11.	मोकलवाडी
2.	भट्टी	12.	बढैयाखेड़ी

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
3.	मुहारी खुर्द	3.	निवारी	13.	चंदेरी
4.	हथनीखापा	4.	काजलखेड़ी	14.	अजंनेरी
5.	सांगई	5.	ढिकवाडा	15.	भौखेडी
6.	कूकरा	6.	अजेरा	16.	रानी पिपरिया
7.	पट्टल	7.	माछा	17.	रनमौथा
8.	सोनपुर	8.	बैगनिया	18.	तिघडा
9.	नांदनेर	9.	पांजरा	19.	बरूआढाना
10.	परसीपानी	10.	छिरमटा	20.	रैपुरा

निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्र. एस.डब्ल्यू.-9361-11.—मध्यप्रदेश शासन की स्वीकृति उपरांत ग्वालियर जिले में नवीन पुलिस थाना हजीरा की सीमा का निर्धारण किया गया है जो निम्नानुसार है:—

पुलिस थाने का नाम (तहसील व जिला) जिसे अपवर्जित किया गया	ग्रामों के नाम व बन्दोबस्त क्रमांक		पुलिस थाने का नाम जिसे सम्मिलित किया गया
(1)	(2)		(3)
ग्वालियर	ग्राम/मोहल्ले का नाम	वार्ड/बन्दोबस्त क्र.	हजीरा
	हजीरा	11/80	
	गदाईपुरा	15/66	
	मल्लगढ़ा	8/366	
	सुभाष नगर	12/80	
	न्यू नरसिंह नगर	8/304	
	न्यू ग्रेसिम बिहार कालोनी	12/80	
	चौड़े के हनुमान कालोनी	8/304	
	संजय नगर	15/80	
	चंदनपुरा	16/80	
	कांचमिल कालोनी नं. 1, 2, 3	16/80	
	बिरला नगर लाईन नं. 1 से 14 तक 50 क्वाटर	16/80	
	सिमको लाईन	16/80	
	असिस्टेंट लाईन	16/80	
	जती की लाईन	15/80	
	रेशम मिल	16/80	
	रसूलाबाद	12/80	
	गोसपुरा नं. 1, 2	11/80	

क्र. 9361-2011.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस विभाग) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश दिनांक 29 अगस्त 2011 पत्र क्र. एफ-2(क) 35-10-बी-3-2, राज्य शासन द्वारा जिला ग्वालियर के किलागेट थाना ग्वालियर के अन्तर्गत पुलिस चौकी हजीरा को उन्नयन कर थाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है. जिले के भीतर स्वीकृत थाने की सीमा के निर्धारण का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की समिति को प्रत्यायोजित किये गये है.

उक्तानुसार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन पुलिस थाना हजीरा का क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है. जिसके अन्तर्गत पुलिस थाना हजीरा में थाना ग्वालियर का निम्नानुसार क्षेत्र रहेगा:—

पुलिस थाने का नाम (तहसील व जिला) जिसे अपवर्जित किया गया	ग्रामों के नाम व बन्दोबस्त क्रमांक		पुलिस थाने का नाम जिसे सम्मलित किया गया
(1)	(2)		(3)
ग्वालियर	ग्राम/मोहल्ले का नाम	वार्ड/बन्दोबस्त क्र.	हजीरा
	हजीरा	11/80	
	गदाईपुरा	15/66	
	मल्लगढ़ा	8/366	
	सुभाष नगर	12/80	
	न्यू नरसिंह नगर	8/304	
	न्यू ग्रेसिम बिहार कालोनी	12/80	
	चौड़े के हनुमान कालोनी	8/304	
	संजय नगर	15/80	
	चंदनपुरा	16/80	
	कांचमिल कालोनी नं. 1, 2, 3	16/80	
	बिरला नगर लाईन नं. 1 से 14 तक 50 क्वाटर	16/80	
	सिमको लाईन	16/80	
	असिस्टेंट लाईन	16/80	
	जती की लाईन	15/80	
	रेशम मिल	16/80	
	रसूलाबाद	12/80	
	गोसपुरा नं. 1, 2	11/80	

Name of Police Station and District from which excluded	Local area Name of Village and settlement/ Halka number	Ward No./ Surve No.	Name of Police Station (with Tehsil and District from which included)
(1)	(2)		(3)
Gwalior	Hazira	11/80	Police Station Hazira Tahsil Gwalior District Gwalior
	Gadaipura	15/66	
	Mallgadha	8/366	
	Subhash Nagar	12/80	
	New Narsingh Nagar	8/304	

(1)	(2)	(3)	(4)
	New Grasim Vihar Colony	12/80	
	Choude ke Hanuman Colony	8/304	
	Sanjay Nagar	15/80	
	Chandanpura	16/80	
	Kanch Mill, Colony No. 1, 2, 3	16/80	
	Birla Nagar Line No. 1, to 14, 50 Quarter.	16/80	
	Simko Line	16/80	
	Asistant Line	16/80	
	Jati ki Line	15/80	
	Resham Mill	16/80	
	Rasulabad	12/80	
	Gaushpura No. 1, 2	11/80	

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

क्र. 914-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्रमांक 2) की धारा 2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2(क)-15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2(क)-9-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की बैठक दिनांक 1 अक्टूबर 2011 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:—

एक नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करती है.

दो सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है.

सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है.	स्थानीय क्षेत्र ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/ वार्ड क्रमांक		पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है.
(1)	(2)		(3)
पुलिस थाना शाहजहांनाबाद, तहसील हुजूर, जिला भोपाल	ग्राम/मोहल्ले का नाम	बन्दोबस्त नं./वार्ड क्र.	पुलिस थाना निशातपुरा तहसील हुजूर, जिला भोपाल
	1. ग्राम नेवरी	वार्ड क्र. 69	
	2. संजीवनगर पुलिस कालोनी	वार्ड क्र. 69	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

क्र. 914-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 914-जे.सी.-1-भोपाल-2011, दिनांक 1 अक्टूबर 2011 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 1st October 2011

No. 914-J.C.1-Collector-Bhopal-2011.—In exercise of the powers conferred by clause(s) Section 2 of the code of Criminal procedure; 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department order number F-2(K) 15-99-B-3-two, dated 11th October 2004 and number F-2(K)-9-08-B-3-two, dated 30th July 2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of District Collector-SSP-DPO. in meeting Dated 1st October 2011 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective Police Stations mentioned in the Table below, the State government hereby which effect from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

1. Exclude form the Police Station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column (2) there of and

2. Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the Police Station mentioned in column (3) of the said Table:—

TABLE

Name of Police Station (with Tehsil and Distt.) from which excluded (1)	LOCAL AREA — Name of Villages and Settlement No, Ward No. (2)		Name of Police Station (with Tehsil and Distt.) from which included (3)
Police Shahjhanabad Tehsil Hujur, Distt. Bhopal.	Name of Villages	Settlement No.	Police Station Nishatpura Tehsil Hujur Distt. Bhopal
	1. Village Nevri	Bard No. 69	
	2. Sanjeew Nagar Police Colony	Bard No. 69	

By order and in the Name of the Governor of Madhya Pradesh,
NIKUNJ KUMAR SHRIVASTAVA, Collector & Ex-officio Dy. Secy.

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

अधिसूचना क्र. भसकमं-योजना-2011-2697.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 279 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अभिकथित करने वाली पूर्व में अधिसूचित मृत्यु की दशा में अन्त्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की

स्थायी अपंगता में हितलाभ की स्वीकृति के अधिकार संबंधी सुसंगत कंडिकाओं में संशोधन कर क्षेत्रीय स्तर पर एतद्द्वारा यथा प्रत्यायोजित करता है, अर्थात्:—

1. निम्न सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित प्रभावशील योजना में कॉलम (3) में दर्शाए अनुसार योजना के अन्तर्गत अंकित स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्थान पर कॉलम (4) में दर्शाए गए स्वीकृतकर्ता अधिकारी को कॉलम (5) में अंकित निर्धारित सीमा तक के लिए स्वीकृति के अधिकार प्रत्यायोजित किए जाते हैं:—

सारणी

क्र.	योजना का नाम	योजना में अंकित स्वीकृतकर्ता अधिकारी का क्षेत्राधिकार एवं पदनाम	योजना में अंकित स्वीकृतकर्ता अधिकारी का क्षेत्राधिकार एवं पदनाम	स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रदत्त हितलाभ की स्वीकृति की निर्धारित सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर सहायता.	शहर क्षेत्र—कलेक्टर	शहरी क्षेत्र— (1) आयुक्त, नगर निगम, (2) नगरपालिका/नगर पंचायत के लिए अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	सारणी के कॉलम (2) में अंकित योजना में देय हितलाभ रुपये 75 हजार की सीमा तक. शेष अधिकार यथावत् रहेंगे.

यह अधिसूचना "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी.

प्रभात दुबे, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

क्र. 1469-भू-अर्जन-C-11. सिंगरौली, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

करारनामा

रजनीश गौड़ पिता स्व. श्री प्रेमप्रकाश गौड़ उम्र 40 वर्ष प्राधिकृत हस्ताक्षरी एवं एटार्नी जे.पी. पावर वेंचर्स लिमिटेड (जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निगरी, 2× 660 मेगावाट), पंजीकृत कार्यालय, जे. यू. आई. टी. काम्पलेक्स वाक्नाघाट, पी.ओ. धूमेहरबानी, कन्डाघाट, 173215, जिला सोलन (हिमांचल प्रदेश) के निमित्त बैराज निर्माण से डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम निगरी एवं कटई की 66.927 हे. निजी भूमि के अर्जन बाबत्.

प्रथम पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली

द्वितीय पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-12-20/06/सात/2-ए, भोपाल, दिनांक 15-3-2007 के अनुसार ग्राम निगरी, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली में सुपर थर्मल पावर प्लांट (1320 मेगावाट) की स्थापना के निमित्त बैराज निर्माण से डूब प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 1-10-2011 को अनुबंध (करारनामा) निष्पादित करते हैं:—

1. भारत सरकार की वर्ष 2007 (अधिसूचित 31-10-07) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय-समय पर जारी निर्देश एवं शर्तें लागू होंगे. जिसका पूर्णत: पालन करते हुए पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की कार्यवाही की जावेगी.

2. कम्पनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके परिवार के एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

3. कम्पनी द्वारा भू-अर्जन अधिकारी देवसर के पत्र क्रमांक 371/भू-अर्जन/11, देवसर दिनांक 23-4-2011 के अनुसार 3 वर्षीय प्रशासकीय व्यय की अनुमानित राशि की 10 प्रतिशत राशि प्रशासकीय व्यय बतौर कुल राशि रुपये 4,79,51,805/- (चार करोड़ उन्यासी लाख इक्यावन हजार आठ सौ पांच रुपये मात्र) अग्रिम शासकीय कोष में भू-अर्जन अधिकारी देवसर, जिला सिंगरौली के नाम जमा की जा चुकी है.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 एवं अन्य निर्देश के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

5. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा.

6. अर्जित की गई उक्त निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

7. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

8. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा.

9. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. परन्तु परियोजना निर्माण के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु कम्पनी को ऋणदाता के पक्ष में भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण को बन्धक रखने की पात्रता पूर्व अनुमति के पश्चात् होगी.

10. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन या उसके किसी भी भाग को कम्पनी विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

11. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

12. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जायेगा.

13. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

14. प्रदूषण नहीं किया जावेगा. इस संबंध में संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु प्रदूषण नहीं किया जायेगा.

15. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी भी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को मुआवजा देय नहीं होगा.

16. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

17. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

18. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

19. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रथम पक्ष पूर्व से गठित ''जयप्रकाश सेवा संस्थान'' जो कि ट्रस्ट के रूप में गठित है के माध्यम से कलेक्टर से चर्चा कर कार्यवाही करेगा.

20 मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान अन्य आवश्यक शर्तों का कम्पनी द्वारा पालन किया जाएगा.

21. भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबत् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा.

22. निजी भूमि अर्जन हेतु उक्त प्रस्तावित क्षेत्रफल में स्थित जो वृक्ष लगे हुए हैं जिन्हें काटने के लिये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240/241 के प्रावधानों का पालन करना होगा साथ ही मूल्यांकन के समय दुगने पेड़ वन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग के माध्यम से रोपण करना होगा तथा जिसकी कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन कम्पनी द्वारा किया जाएगा. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में उसी प्रजाति के वृक्ष लगाए जाएंगे.

23. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू-अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जाएगा.

24. भू-अर्जन की मुआवजे की राशि रुपये 5 लाख प्रति एकड़ अथवा पुनर्वास नीति में उल्लिखित राशि में से जो भी अधिक हो कम्पनी से ली जावेगी.

विशेष शर्तें—

1. भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देखा जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो PESA ACT के प्रावधान के अनुसार ग्राम सभा से राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-12-46/97/सात-9, भोपाल, दिनांक 31-1-2000 के अनुशरण में परामर्श लिया जाएगा.

2. प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (SANCTUARY) का कोई हिस्सा नहीं आ रहा है.

हस्ता./-
(रजनीश गौड़)
प्राधिकृत हस्ताक्षरी एवं एटार्नी
जे. पी. पावर वेंचर्स लि.

हस्ता./-
(पी. नरहरि)
कलेक्टर
जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

क्र. 1471-भू-अर्जन-C-11. सिंगरौली, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

करारनामा

रजनीश गौड़ पिता स्व. श्री प्रेमप्रकाश गौड़ उम्र 40 वर्ष प्राधिकृत हस्ताक्षरी एवं एटार्नी जे.पी. पावर वेंचर्स लिमिटेड (जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निगरी, 2× 660 मेगावाट), पंजीकृत कार्यालय, जे. यू. आई. टी. काम्पलेक्स वाक्नाघाट, पी.ओ. धूमेहरबानी, कन्डाघाट, 173215, जिला सोलन (हिमांचल प्रदेश) के निमित्त प्रभावित ग्राम निगरी की 1.259 हे. निजी भूमि के अर्जन बाबत्.

प्रथम पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली

द्वितीय पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-12-20/06/सात/2-ए, भोपाल, दिनांक 15-3-2007 के अनुसार ग्राम निगरी, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली में सुपर थर्मल पावर प्लांट (1320 मेगावाट) की स्थापना के निमित्त अर्जन हेतु प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 1-10-2011 को अनुबंध (करारनामा) निष्पादित करते हैं:—

1. भारत सरकार की वर्ष 2007 (अधिसूचित 31-10-07) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय-समय पर जारी निर्देश एवं शर्तें लागू होंगे. जिसका पूर्णत: पालन करते हुए पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की कार्यवाही की जावेगी.

2. कम्पनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके परिवार के एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

3. कम्पनी द्वारा भू-अर्जन अधिकारी देवसर के पत्र क्रमांक 370/भू-अर्जन/11, देवसर दिनांक 23-4-2011 के अनुसार 3 वर्षीय प्रशासकीय व्यय की अनुमानित राशि की 10 प्रतिशत राशि प्रशासकीय व्यय बतौर कुल राशि रुपये 9,67,547/- (नौ लाख सड़सठ हजार पांच सौ सैंतालिस रुपये मात्र) अग्रिम शासकीय कोष में भू-अर्जन अधिकारी देवसर, जिला सिंगरौली के नाम जमा की जा चुकी है.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 एवं अन्य निर्देश के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

5. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा.

6. अर्जित की गई उक्त निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

7. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

8. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा.

9. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. परन्तु परियोजना निर्माण के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु कम्पनी को ऋणदाता के पक्ष में भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण को बन्धक रखने की पात्रता पूर्व अनुमति के पश्चात् होगी.

10. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन या उसके किसी भी भाग को कम्पनी विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

11. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

12. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जायेगा.

13. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

14. प्रदूषण नहीं किया जावेगा. इस संबंध में संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण, जलस्रोत या वायु प्रदूषण नहीं किया जायेगा.

15. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी भी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को मुआवजा देय नहीं होगा.

16. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

17. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

18. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

19. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रथम पक्ष पूर्व से गठित ''जयप्रकाश सेवा संस्थान'' जो कि ट्रस्ट के रूप में गठित है के माध्यम से कलेक्टर से चर्चा कर कार्यवाही करेगा.

20. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान अन्य आवश्यक शर्तों का कम्पनी द्वारा पालन किया जाएगा.

21. भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावत् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा.

22. निजी भूमि अर्जन हेतु उक्त प्रस्तावित क्षेत्रफल में स्थित जो वृक्ष लगे हुए हैं जिन्हें काटने के लिये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240/241 के प्रावधानों का पालन करना होगा साथ ही मूल्यांकन के समय दुगने पेड़ वन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग के माध्यम से रोपण करना होगा तथा जिसकी कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन कम्पनी द्वारा किया जाएगा. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में उसी प्रजाति के वृक्ष लगाए जाएंगे.

23. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू-अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जाएगा.

24. भू-अर्जन की मुआवजे की राशि रुपये 5 लाख प्रति एकड़ अधवा पुनर्वास नीति में उल्लेखित राशि में से जो भी अधिक हो कम्पनी से ली जावेगी.

विशेष शर्तें—

1. भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देखा जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो PESA ACT के प्रावधान के अनुसार ग्राम सभा से राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-12-46/97/सात-9, भोपाल, दिनांक 31-1-2000 के अनुशरण में परामर्श लिया जाएगा.

2. प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (SANCTUARY) का कोई हिस्सा नहीं आ रहा है.

हस्ता./-
(रजनीश गौड़)
प्राधिकृत हस्ताक्षरी एवं एटार्नी
जे. पी. पावर वेंचर्स लि.

हस्ता./-
(पी. नरहरि)
कलेक्टर,
जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

क्र. 7708-प्रस्तु. -भू-अर्जन-2011-भू-अर्जन-राजस्व प्र.क्र. 1-अ-82-2011-12 छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक 1) की धारा 41 के अन्तर्गत

अनुबंध–पत्र (करारनामा)

यह अनुबंध–पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला –छिंदवाड़ा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती, और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में "मण्डला नार्थ कोल ब्लॉक" (जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, जे.पी. नगर , पोस्ट रीवा मध्यप्रदेश) जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंन्तर्गत रजिस्टर्ड है, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है। जिसकी ओर से मुख्यत्यार–श्री के.आर. रघु महाप्रबंधक, जो जंय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के मण्डला नार्थ कोल ब्लॉक में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 05 अक्टूबर 2011 को संपादित किया जा रहा है।

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन) कहा गया है, भारत सरकार कोल मंत्रालय द्वारा आबंटित "मण्डला नार्थ कोल ब्लॉक" (जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, जे.पी. नगर , पोस्ट रीवा मध्यप्रदेश) को छिंदवाड़ा जिले की तहसील–परासिया के ग्राम–मण्डला बं.नं.–453 पं.ह.नं.–17/26 रा.नि.म. तहसील–परासिया, जिला छिंदवाड़ा की निजी भूमि रकबा–17.981 हेक्टेयर के माईन्स प्रयोजन के निमित्त प्रशासनिक भवन, सब एरिया मैनेजर ऑफिस, खान उत्खनन से संबंधित उपकम, मशीनरी, स्टोर, कैप लैम्प एवं सड़क आदि संकर्मो के निर्माण के लिए परिशिष्ट–1 उल्लेखित निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं उस भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू–अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत भू–अर्जन किये जाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट–1 पर अंकित किया है :–

--::परिशिष्ट--1::--

जयप्रकश एसोसिएट्स द्वारा माईन्स प्रयोजन के निमित्त प्रशासनिक भवन, सब--एरिया मैनेजर ऑफिस, मैनेजर ऑफिस, खान उत्खनन से संबंधित उपक्रम एवं सड़क आदि निर्माण के लिए भू--अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत तहसील--परासिया के ग्राम--मण्डला बं.नं.--453 पं.ह.न. --17/26 का रकबा--17.981 हेक्टेयर निजी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां की जानकारी :--

अनु.कं.	नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति	प्रस्तावित खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जन हेतु कुल प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	संपत्ति का विवरण (कैफियत)
1	2	3		4	5
1	चुन्नीलाल,रेखलाल पुत्रगण फुल्ला गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	319	0.526	0.526	कच्चा--कुंआ--1 बबूल--01 पलाश--01
2	गरीबा पुत्र बालसा गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	330	0.049	0.049	निरंक
		331/3	0.611	0.611	निरंक
	योग :--	02	0.660	0.660	
3	सहतर पुत्र दुधे गौड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	331/1	0.210	0.210	बबूल--01
4	मनीराम कलीराम मेहतर सताप पतोल पुत्रगण ऊदे मु.रामकली पुत्री ऊदे गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	331/2	0.304	0.304	निरंक
5	उदीचन्द पुत्र बालसा गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	331/4	0.648	0.648	पलशा--06
		334/1	0.599	0.599	निरंक
	योग :--	02	1.247	1.247	
6	सहीलाल व. गुल्लू गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	332	1.704	1.704	कच्चा कुंआ--01 पलशा--01
		335	1.781	1.781	खैर--02 मोयन--01
	योग :--	02	3.485	3.485	
7	भुवनलाल पुत्र बिसनु मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	333/1	0.461	0.461	पलशा--01
8	सुबनलाल पुत्र बिसनु मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	333/2	1.214	1.214	पलशा--02 कहुआ--01
9	बलजीत सिंग पुत्र सुबनलाल मेंहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	333/3	0.458	0.458	बबूल--03
10	ब्रजमोहन पुत्र भुवनलाल मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	333/4	1.214	1.214	पलशा--01 बबूल--03 सेमर--02

11	हरीबा पुत्र वालसा गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	334/2	0.910	0.910	कच्चा मकान– 01 कच्चा कुंआ–1 पलाश–01 बबूल–02 रेतू–01 दूधमोंगर–01 झगड़ो–01
12	मुंसी पुत्र मंद्राजी मकूर पुत्रगण भागरत लेखराम मेखलाल पुत्रगण मकरन गौड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	337/1	0.931	0.931	कच्चा कुंआ–1 आम–03 रिंझा–01 बेर–02 रोहनी–01 रेतु–02 लेड़िया–02
13	मु. इन्दरवती पत्नि मकूर गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	337/2	0.364	0.364	भिलवा–01 पलाश–01 रींझा–02 बेर–03
14	मकुर पुत्र भागरत गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	337/3	0.526	0.526	बबूल–03
15	सिलेराम दुलेराम पिता गोरेलाल, सुबेदी बेवा गोरेलाल दसोदा गनपतिया बेवाऐं फूलचन्द कविलाल पिता फूलचन्द गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	338	2.314	2.314	कच्चा कुंआ–1 कच्चा मकान–03 आम–03 अमरूद–03 नींबू–01 बेर–02 रिंझा–01 पीपल–01 सिरस–01 बबूल–02 बांसभेड़ा–01 (85 नग)
16	सुरेश पुत्र सखाराम मुंशी मकरन पुत्रगण मंन्द्राजी गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	341	3.157	3.157	कच्चा कुंआ–1 महुआ–06 पलशा–01
कुल योग :–		19	17.981	17.981	कच्चे मकान–04 कच्चे कुंए–06 विभिन्न प्रजातियों के –75 वृक्ष

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रकिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, कि भारत सरकार कोल मंत्रालय द्वारा आबंटित "मण्डला नार्थ कोल ब्लॉक" माईन्स प्रयोजन के निमित्त संकर्मो के निर्माण आदि के लिए उक्त कोल उत्खनन परियोजना क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू–अर्जन आवेदन–पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2010 को संपन्न भू–अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक/एफ–12–14/2010/सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 अगस्त 2010 के अंतर्गत भू–अर्जन की सशर्त (विहित की गई शर्तो के अधीन) अनुमति प्रदान की गई है. इसका इस अनुबंध–पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तो के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू–अर्जन अधिनियम 1894 की धारा–41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध–पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है, कि :–

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्ति व्यक्ति को ऐस समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू–अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को एसेसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू–अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट–1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचाएं /परियासंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा.

1- छिंदवाड़ा जिले की तहसील–परासिया के ग्राम–मण्डला की निजी भूमि रकबा–17.981 हेक्टेयर के माईन्स प्रयोजन के निमित्त प्रशासनिक भवन, सब एरिया मैनेजर ऑफिस, खान उत्खनन से संबंधित उपक्रम, मशीनरी, स्टोर, कैप लैम्प एवं सड़क आदि संकर्मो के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू–अर्जन आवेदन–पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2010 को संपन्न भू–अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक/एफ–12–14/2010/ सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 अगस्त 2010 के अंतर्गत भू–अर्जन की सशर्त (विहित की गई शर्तो के अधीन) स्वीकृति प्रदान की गई है.

(i) आवेदक कंपनी द्वारा भारत सरकार के द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31/10/2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन आवेदक कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए। मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्ते या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेगें।

(ii) आवेदक कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा।

(iii) आवेदक कंपनी द्वारा भू–अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू–अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्–प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू–अर्जन की कार्यवाही की जाए।

(iv) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के लिए भू–अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू–अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तो के अनुसार किया जाए।

(v) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी।

(vi) आवेदक कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्ते आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेगें।

(vii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा।

(viii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा।

(ix) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा।

(x) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा।

(xi) आवेदक कंपनी द्वारा को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा (धारा 44–ए भू–अर्जन अधिनियम के तहत)

(xii) यदि आवेदक कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जें में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।

(xiii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा। आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा।

(xiv) आवेदक कंपनी द्वारा शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा।

(xv) आवेदक कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी। इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा।

(xvi) आवेदक कंपनी द्वारा यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा।

(xvii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा।

(xviii) आवेदक कंपनी द्वारा मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू–अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई जाने वाली अन्य आवश्यक शर्ते।

(xix) आवेदक कंपनी द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा।

(xx) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही हो, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकार भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

(xxi) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तो के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।

(xxii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू–अर्जन की कार्यवाही के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि, यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी, इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू–अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

4. भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आदर्श पुनर्वास नीति 2002. एवं भारत सरकार की पुर्नवास नीति 2007 के अनुसार जिन कृषकों की भूमि अर्जित की जा रही है, उनके संबंध में क्या सुविधाएं कंपनी देगी, पुनर्वास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए।

5. आवेदक कंपनी से भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तो का भी समावेश किया जाये.

6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू–अर्जन की प्रकिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष कमांक–1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा एवं पक्ष कमांक–2 की ओर से श्री के.आर. रघु, महाप्रबंधक, जयप्रकाश एसोसिएट्स स्थानीय कार्यालय, 20 सर्वोत्तम नगर, संजू ढाबा के सामने, परासिया रोड परतला, तहसील–छिंदवाड़ा, जिला–छिंदवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध–पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी कं.–1

नाम :– डॉ. श्रीनिवास शर्मा

अतिरिक्त कलेक्टर

पता : शासकीय आवासगृह साउथ

सिविल लाईन जिला–छिंदवाड़ा
(म0प्र0)

साक्षी कं.–2

नाम :– श्री राजेन्द्र कुमार बरमैया

पिता का नाम :– स्व. श्री रामनाथ जी

बरमैया

पता : टेलीफोन एक्सचेंज के सामने

वार्ड कमांक–4 बड़कुही

तहसील–परासिया

जिला–छिंदवाड़ा (म0प्र0)

पक्ष कमांक–1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(डॉ. पवन कुमार शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

जिला–छिंदवाड़ा (म0प्र0.)

पक्ष कमांक–2

(के.आर. रघु)

For-Jaiprakash Associates Ltd.

महाप्रबंधक,

(General Manager)

(जयप्रकाश एसोसिएट्स)

स्थानीय कार्यालय, 20 सर्वोत्तम नगर, संजू ढाबा के सामने, परासिया रोड परतला, तहसील–छिंदवाड़ा, जिला–छिंदवाड़ा
(म0प्र0)

क्र. 7709-प्रस्तु. -भू-अर्जन-2011-भू-अर्जन-राजस्व प्र.क्र. 2-अ-82-2011-12, छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक 1) की धारा 41 के अन्तर्गत

अनुबंध–पत्र (करारनामा)

यह अनुबंध–पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला –छिंदवाड़ा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती, और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में "मण्डला नार्थ कोल ब्लॉक" (जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, जे.पी. नगर , पोस्ट रीवा मध्यप्रदेश) जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंन्तर्गत रजिस्टर्ड है, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है। जिसकी ओर से मुख्यत्यार–श्री के.आर. रघु महाप्रबंधक, जो जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के मण्डला नार्थ कोल ब्लॉक में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 05 अक्टूबर 2011 को संपादित किया जा रहा है।

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन) कहा गया है, भारत सरकार कोल मंत्रालय द्वारा आबंटित "मण्डला नार्थ कोल ब्लॉक" (जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, जे.पी. नगर , पोस्ट रीवा मध्यप्रदेश) को छिंदवाड़ा जिले की तहसील–परासिया के ग्राम–बिछुआ पठार ब.नं.–383 पं.ह.नं.–16/26 रा.नि.म. तहसील–परासिया, जिला छिंदवाड़ा की निजी भूमि रकबा–16.250 हेक्टेयर के माईन्स प्रयोजन के निमित्त प्रशासनिक भवन, सब एरिया मैनेजर ऑफिस, खान उत्खनन से संबंधित उपकम, मशीनरी, स्टोर, कैप लैम्प एवं सड़क आदि संकर्मो के निर्माण के लिए परिशिष्ट–1 उल्लेखित निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं उस भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू–अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत भू–अर्जन किये जाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट–1 पर अंकित किया है :–

—:: परिशिष्ट—1 ::—

जयप्रकाश एसोसिएट्स द्वारा माईन्स प्रयोजन के निमित्त प्रशासनिक भवन,सबएरिया मैनेजर ऑफिस, मैनेजर ऑफिस, खान उत्खनन से संबंधित उपकम एवं सड़क आदि निर्माण के लिए भू—अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत तहसील— परासिया के ग्राम— बिछुआ पठार बं.नं.—383 पं.ह.—16/26 का रकबा— 16.250 हेक्टेयर निजी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां की जानकारी :—

अनु.क्रं.	नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति	प्रस्तावित खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	प्रस्तावित अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित अर्जनीय क्षेत्रफल में स्थित संपत्तियों का विवरण
1	2	3		4	5
1	देवीलाल पुत्र पिरमू गोड़ निवासी ग्राम भूमि—स्वामी	2	0.599	0.599	सागौन—1
2	रंगलाल पिता पिरमू गोड़ निवासी ग्राम भूमि—स्वामी	3	0.077	0.077	निरंक
		5/3	0.194	0.194	पलसा—2
		7	0.049	0.049	निरंक
		8	0.825	0.825	सागौन—2
		46	0.304	0.304	सागौन—1, महुआ—1 पलाश—1
	योगः—	05	**1.449**	**1.449**	
3	बंकनलाल पिता पिरमू गोड़ निवासी ग्राम भूमि—स्वामी	4	0.097	0.097	सागौन—4
		5/1	0.191	0.191	निरंक
	योगः—	02	**0.288**	**0.288**	
4	चमेली पुत्री जेठू गोंड़ निवासी ग्राम भूमि—स्वामी	5/2	0.243	0.243	निरंक
5	लखन पिता शंकर गोड़ निवासी ग्राम भूमि—स्वामी	6/3	1.214	0.710	बीजा—1, सागौन—1 भिलमा—1
6	गम्भीर पुत्र गरजन गोंड़ निवासी ग्राम भूमि—स्वामी	6/4	0.695	0.695	निरंक
7	साहबलाल, भागचन्द पुत्रगण केशूलाल मु. मिश्रीबाई वि. केशूलाल गोंड़, ईसानवती वि. गुलबीर, राकेश, लोकेश, राजाराम पिता गुलबीर, कस्तुरिया वि. स्व. गुलाबचन्द, अनिल बा. मुनीम ना. बा. पिता गुलाब चन्द, ममता ना. बा. पिता गुलाबचन्द निवासी ग्राम भूमि—स्वामी	6/5	0.891	0.160	सागौन—1
8	लखीराम पुत्र शंकर निवासी ग्राम भूमि—स्वामी	6/6	0.405	0.205	पलसा—1,चार—1, भिलमा—1
9	भीम पिता पूरन गोड़ निवासी ग्राम भूमि—स्वामी	9/1	1.214	1.214	सागौन—2,भिलमा—3

10	श्रीचन्द पिता पूरन गोड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	9/2	0.628	0.628	महुआ–1, चार–1 भिलमा–1,सागौन–1
11	अशोक पिता रंगलाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	10/1	1.254	1.254	पीपल–1, सागौन–2
12	सज्जन पिता रंगलाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	10/2	1.255	1.255	सागौन–10, महुआ–1 बांसभेड़ा–1 (100नग)
13	देवलाल पिता रंगलाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	10/3	1.255	0.728	महुआ–2, नीम–1 जाम–1
14	रामअवतार पिता अंतराम गोड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	11/1	0.056	0.045	निरंक
15	दिनेश पिता प्रताप गोंड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	11/2	0.448	0.206	बांसभेड़ा–1(100नग)
		69/2	0.405	0.304	कच्चा कुआं–1 सागौन–1 बांसभेड़ा–1 (50नग)
	योगः–	02	**0.853**	**0.510**	
16	नारायण पिता अंतराम गोंड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	11/3	0.057	0.030	निरंक
17	नारंगी पिता अंतराम गोंड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	11/4	0.058	0.030	निरंक
18	कलीराम पिता बुद्धू गोंड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	11/5	0.171	0.090	निरंक
19	जुगल पिता बुद्धू गोंड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	11/6	0.171	0.090	कच्चा मकान–1 बांस पेड़–1 बोर–1
20	जबल पिता बुद्धू गोंड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	11/7	0.171	0.090	निरंक
21	साहबलाल, पुत्र केशूलाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	12	0.567	0.147	निरंक
22	रामप्रसाद पुत्र सुद्धू गोंड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	13/2	0.688	0.032	चार–1, महुआ–1
		13/4	0.667	0.602	महुआ–2, आम–1 सागौन–2, जाम–2 कच्चा कुआं–2 कच्चा मकान–1
	योगः–	02	**1.355**	**0.634**	
23	मूलचन्द पुत्र हजारी मु. कलसी वि. हजारी गोंड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	36	0.235	0.146	निरंक
		38/2	0.073	0.073	निरंक
		111	0.146	0.146	पक्का कुआं–01
	योगः–	03	**0.454**	**0.365**	
24	मु. रेवतीबाई जोजे कण्ठीगौली निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	38/1	3.314	0.202	निरंक

25	हिमलचन्द, सिकलचन्द पुत्रगण उदेराम , बेनीप्रसाद, बालचन्द पुत्रगण रतन, हीराचन्द, निर्मलचन्द पुत्रगण उदेचन्द गोंड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	39/1	1.461	0.728	सागौन–2
		79	0.243	0.121	निरंक
		93/1	0.121	0.121	कच्चा मकान–1 कुआं–1
		100/1	2.572	0.445	नीलगिरी–2
	योगः–	04	4.397	1.415	
26	बालचन्द पुत्र रतन गोड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	39/2	1.011	0.526	सागौन–3
27	साहबलाल, भागचन्द पुत्रगण केशूलाल मु. मिश्रीबाई वि. केशूलाल गोंड़,गंभीर पुत्र गरजन,मु0 चमेली पुत्री जेठू, ईसानवती वि. गुलबीर, राकेश, लोकेश, राजाराम ना0बा0 पुत्रगण गुलबीरस0मा0 इसनवती, कस्तुरिया वि. स्व. गुलाबचन्द, अनिल बा. मुनीम ना. बा. पिता गुलाब चन्द, ममता ना. बा. पिता गुलाबचन्द पा.मा. कस्तुरिया निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	62	1.056	0.607	बांसभेड़ा–1 (60नग)
28	प्रताप पिता बुद्धू निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	69/8	0.040	0.040	कच्चा कुआ–1 कच्चा मकान–1
29	मु. रमलोबाई पति बालचन्द गोड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	70	1.513	0.061	निरंक
30	मु. विजियाबाई बेवा अंतराम रामअवतार नारायण नारंगी पुत्रगण अंतराम निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	74	1.088	0.500	कच्चा कुआ–1, कच्चा मकान–03 आम–01 बासभेड़ा–01 (100 नग)
31	रामधार पुत्र सुक्खन गोंड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	76/3	0.385	0.385	कच्चा कुआ–1
32	बिसनलाल पुत्र मक्ख्न मु. कसूदी स्व. पति मक्ख्न निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	76/4	0.045	0.045	निरंक
33	हीराचन्द पुत्र उदेचन्द गौड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	78	0.065	0.065	निरंक
34	मुलचंद पुत्र हजारी फलेशी स्व.पति हजारी चैतराम पन्नू पुत्रगण बल्कू फूलन रहमान दूधनशा पुत्रगण चैतु झनिया स्व. पति चैतु तिलखा फुलारा तुलसा पुत्रियां चैतु संगोला स्व.पति कुन्जी सुमेचन्द कपूरचंद चम्पालाल पुत्रगण मेंता सिकला पुत्री मंता गौड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	80	0.198	0.020	निरंक
35	रजन बालकिसन पुत्र गुलभान शॉ गोंड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	93/3	0.081	0.041	कच्चे मकान–03
36	मु. सुमरबती पत्नी सिकलचन्द गोंड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	93/4	0.121	0.121	कच्चा मकान–02

37	झीनो पुत्र छोटेलाल दुबेलाल पुत्रगण भोपत महीचंद बलदेव लखमीचंद मखन पुत्रगण धोकल फगुना स्व. पति भागलाल हरिपाल सुकपाल हरिचन्द हरेसिंग कमलसिंग धीरसिंग पुत्रगण भागलाल चंदा मनिया पुत्रियां भागलाल गौड़ निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	112	0.316	0.165	महुआ–02 जामुन–01
		118/1	0.790	0.202	पक्का कुआं–1
	योग:–	02	1.106	0.367	
38	फकीरचन्द महीचन्द बलदेव लक्मीचन्द मख्खन पुत्रगण धोकल निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	114	0.259	0.121	निरंक
39	फकीरचन्द पुत्र धोकल निवासी ग्राम भूमि–स्वामी	118/2	0.736	0.275	निरंक
	कुल योग :–	52	30.718	16.250	मकान– 15 बोर/कुंए–08 विभिन्न प्रजातियों के– 73 वृक्ष

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रकिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, कि भारत सरकार कोल मंत्रालय द्वारा आबंटित "मण्डला नार्थ कोल ब्लॉक" माईन्स प्रयोजन के निमित्त संकर्मो के निर्माण आदि के लिए उक्त कोल उत्खनन परियोजना क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू–अर्जन आवेदन–पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2010 को संपन्न भू–अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक/एफ–12–15/2010/सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 अगस्त 2010 के अंतर्गत भू–अर्जन की सशर्त (विहित की गई शर्तो के अधीन) अनुमति प्रदान की गई है. इसका इस अनुबंध–पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तो के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू–अर्जन अधिनियम 1894 की धारा–41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध–पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है, कि :–

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्ति व्यक्ति को ऐस समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू–अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को एसेसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू–अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट–1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचाएं /परियासंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा.

1- छिंदवाड़ा जिले की तहसील–परासिया के ग्राम–बिछुआ पठार बं.नं.–383 प.ह.नं.–16/26 रा.नि.म.–परासिया तहसील–परासिया जिला छिंदवाड़ा की निजी भूमि रकबा–16.250 हेक्टेयर के माईन्स प्रयोजन के निमित्त प्रशासनिक भवन, सब एरिया मैनेजर ऑफिस, खान उत्खनन से संबंधित उपक्रम, मशीनरी, स्टोर, कैप लैम्प एवं सड़क आदि संकर्मो के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू–अर्जन आवेदन–पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2010 को संपन्न भू–अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक/एफ–12–15/2010/सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 अगस्त 2010 के अंतर्गत भू–अर्जन की सशर्त (विहित की गई शर्तो के अधीन) स्वीकृति प्रदान की गई है.

(i) आवेदक कंपनी द्वारा भारत सरकार के द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31/10/2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन आवेदक कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए। मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्ते या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेगें।

(ii) आवेदक कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा।

(iii) आवेदक कंपनी द्वारा भू–अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू–अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्–प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू–अर्जन की कार्यवाही की जाए।

(iv) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के लिए भू–अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू–अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तो के अनुसार किया जाए।

(v) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी।

(vi) आवेदक कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेगें।

(vii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा।

(viii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा।

(ix) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा।

(x) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा।

(xi) आवेदक कंपनी द्वारा को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा (धारा 44–ए भू–अर्जन अधिनियम के तहत)

(xii) यदि आवेदक कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जें में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।

(xiii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा। आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा।

(xiv) आवेदक कंपनी द्वारा शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा।

(xv) आवेदक कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी। इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा।

(xvi) आवेदक कंपनी द्वारा यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा।

(xvii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा।

(xviii) आवेदक कंपनी द्वारा मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू–अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई जाने वाली अन्य आवश्यक शर्तें।

(xix) आवेदक कंपनी द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा।

(xx) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही हो, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकार भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

(xxi) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तो के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।

(xxii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू–अर्जन की कार्यवाही के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि, यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी, इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू–अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

4. भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत सरकार की पुर्नवास नीति 2007 के अनुसार जिन कृषकों की भूमि अर्जित की जा रही है, उनके संबंध में क्या सुविधाएं कंपनी देगी, पुनर्वास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए।

5. आवेदक कंपनी से भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तो का भी समावेश किया जाये.

6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू–अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष कमांक–1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा एवं पक्ष कमांक–2 की ओर से श्री के.आर. रघु, महाप्रबंधक, जयप्रकाश एसोसिएट्स स्थानीय कार्यालय, 20 सर्वोत्तम नगर, संजू ढाबा के सामने, परासिया रोड परतला, तहसील–छिंदवाड़ा, जिला–छिंदवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध–पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी कं.–1

नाम :– डॉ. श्रीनिवास शर्मा

अतिरिक्त कलेक्टर

पता : शासकीय आवासगृह साउथ

सिविल लाईन जिला–छिंदवाड़ा
(म0प्र0)

साक्षी कं.–2

नाम :– श्री राजेन्द्र कुमार बरमैया

पिता का नाम :– स्व. श्री रामनाथ जी

बरमैया

पता : टेलीफोन एक्सचेंज के सामने

वार्ड कमांक–4 बड़कुही

तहसील–परासिया

जिला–छिंदवाड़ा (म0प्र0)

पक्ष कमांक–1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(डॉ. पवन कुमार शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

जिला–छिंदवाड़ा (म0प्र0.)

पक्ष कमांक–2

(के.आर. रघु)

For- Jaiprakash Associates Ltd

महाप्रबंधक

(General Manager)

(जयप्रकाश एसोसिएट्स)

स्थानीय कार्यालय, 20 सर्वोत्तम नगर, संजू ढाबा के सामने, परासिया रोड परतला, तहसील–छिंदवाड़ा, जिला–छिंदवाड़ा
(म0प्र0)

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 183-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	अतरहाई	निजी भूमि 2.76 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.10 कुल 2.86	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	अतरहाई तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 184-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	रैगुंवा	निजी भूमि 2.86 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.16 कुल 3.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रैगुंवा तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 185-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	सलैयाफेरनसिंह	निजी भूमि 2.26 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.14 कुल 2.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सलैयाफेरनसिंह तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 186-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	बोरी	निजी भूमि 3.26 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.20 कुल 3.46	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बोरी तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 187-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके

द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	हरदुआमेंमारी	निजी भूमि 4.95 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.30 कुल 5.25	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	हरदुआमेंमारी तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 188-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	महेबा	निजी भूमि 2.67 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.10 कुल 2.77	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	चकरा तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 189-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	देवरा	निजी भूमि 2.98 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.14 कुल 3.12	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरा नं. 2 तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 190-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	ताला	निजी भूमि 2.80 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.08 कुल 2.88	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	ताला तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 191-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	शाहपुर खुर्द	निजी भूमि 2.55 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.15 कुल 2.70	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	शाहपुर खुर्द तालाब योजना के अंतर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 192-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	चकरभटा	निजी भूमि 3.50 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.10 कुल 3.60	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	चकरभटा तालाब योजना के अंतर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 193-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	चकरा	निजी भूमि 1.96 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.14 कुल 2.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	चकरा तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 194-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	बीजाखेड़ा	निजी भूमि 2.64 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.12 कुल 2.76	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	टोला तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 195-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	लमतरा	निजी भूमि 2.58 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.15 कुल 2.73	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लमतरा तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 196-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	मलघन	निजी भूमि 1.94 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.18 कुल 2.12	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मलघन तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 19 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 197-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनोर	नचने	निजी भूमि 2.018 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.244 कुल 2.262	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	भितरीमुटमुरु तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 198-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	सलेहा	निजी भूमि 3.788 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.036 कुल 3.824	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	भितरीमुटमुरु तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 199-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	तरौनी	निजी भूमि 8.351 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.928 कुल 9.279	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 200-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	सलैया	निजी भूमि 811.802 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.311 कुल 13.113	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 201-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	आरामगंज	निजी भूमि 6.070 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.674 कुल 6.744	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 202-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	प्रतापपुर	निजी भूमि 7.792 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.866 कुल 8.658	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 203-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	सिंहपुर	निजी भूमि 16.816 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.868 कुल 18.684	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 204-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	भैराहा	निजी भूमि 24.662 एवं शासकीय भूमि रकबा 2.740 कुल 27.402	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 205-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	छतैनी	निजी भूमि 11.345 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.261 कुल 12.606	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 206-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	चुनहा	निजी भूमि 1.004 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.112 कुल 1.116	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 207-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	हीरापुर	निजी भूमि 8.165 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.907 कुल 9.072	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 208-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	नवस्ता	निजी भूमि 7.128 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.792 कुल 7.920	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 209-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	बिलाड़ी	निजी भूमि 5.422 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.602 कुल 6.024	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 210-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	सिद्धपुर	निजी भूमि 19.786 एवं शासकीय भूमि रकबा 2.198 कुल 21.984	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 211-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	धरमपुर	निजी भूमि 35.694 एवं शासकीय भूमि रकबा 3.966 कुल 39.660	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 212-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	रामनगर	निजी भूमि 1.199 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.133 कुल 1.332	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 213-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	नयागांव	निजी भूमि 14.704 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.634 कुल 16.338	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 214-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	कीरतपुर	निजी भूमि 4.520 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.502 कुल 5.022	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 215-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	निजामपुर	निजी भूमि 6.950 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.772 कुल 7.722	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 216-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	खोराखास	निजी भूमि 27.097 एवं शासकीय भूमि रकबा 3.011 कुल 30.108	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 217-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	हरनामपुर	निजी भूमि 7.063 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.785 कुल 7.848	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 218-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	कल्याणपुर	निजी भूमि 5.929 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.659 कुल 6.588	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 219-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	बवेरू	निजी भूमि 2.981 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.331 कुल 3.312	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 220-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	हरदी	निजी भूमि 9.590 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.066 कुल 10.656	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 221-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	माखनपुर	निजी भूमि 3.618 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.402 कुल 4.020	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 222-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	बहिरवारा	निजी भूमि 2.765 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.307 कुल 3.072	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 223-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	इमलहट	निजी भूमि 8.262 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.918 कुल 9.180	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 224-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	सुकवाहा	निजी भूमि 4.838 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.538 कुल 5.376	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 225-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	रामपुर	निजी भूमि 4.838 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.538 कुल 5.376	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 226-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	चम्पतपुर	निजी भूमि 2.689 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.299 कुल 2.988	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 227-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	मझगंवा	निजी भूमि 3.359 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.373 कुल 3.732	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 228-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	नारायणपुर	निजी भूमि 3.532 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.392 कुल 3.924	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 229-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	मडरका	निजी भूमि 6.275 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.697 कुल 6.972	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 230-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	अमरछी	निजी भूमि 6.242 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.694 कुल 6.936	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 231-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	चंद्रावल	निजी भूमि 2.419 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.269 कुल 2.688	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 232-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	कल्याणपुर	निजी भूमि 1.665 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.185 कुल 1.850	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 28 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 3-अ-82-वर्ष-10-11-7205.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	मोतीढ़ाना	0.076	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, बैतूल.	मोतीढ़ाना जलाशय की नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-वर्ष-10-11-7204.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	पलासपानी	0.107	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, बैतूल.	मोतीढ़ाना जलाशय की नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

बैतूल, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 25-अ-82-वर्ष-10-11-भू-अर्जन-7292.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	इटावा	2.007	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई.	इटावा लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई, के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 29 सितम्बर 2011

क्र. भू-अर्जन-2011-314.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल निजी भूमि (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बडौद	बेहका	129.91	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर, मध्यप्रदेश.	कछाल तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब में आने वाले भूमि बाबत्.
		योग . .	129.91		

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2010-315.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बडौद	छायन	32.11	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर, मध्यप्रदेश.	कछाल तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण, से डूब में आने वाले भूमि बाबत्.
		योग . .	32.11		

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2010-316.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बडौद	पिपल्या हमीर	80.34	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर, मध्यप्रदेश.	कछाल तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण, से डूब में आने वाले भूमि बाबत्.
		योग . .	80.34		

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2010-317.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बडौद	मूंदपुरा	19.53	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर, मध्यप्रदेश.	कछाल तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण, से डूब में आने वाले भूमि बाबत्.
		योग . .	19.53		

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2010-318.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल निजी भूमि (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बडौद	सांगाखेडी	3.51	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर, मध्यप्रदेश.	कछाल तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण, से डूब में आने वाले भूमि बाबत्.
		योग . .	3.51		

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 20 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 07-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा(2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	आष्टा	बरखेड़ी	108.68 एकड़ 43.982 हेक्टयर	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, सीहोर.	मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अ.वि.अ./भू-अर्जन अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 29 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 07-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	घुटवानी	47.625	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा फीडर शीर्ष भाग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 08-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	पिपलानी	88.859	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	अपर घोघरा शीर्ष भाग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 29 सितम्बर 2011

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.-10-पत्र क्र. 868-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों

के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	रोयनी	1.317	अनुविभागीय अधिकारी, ''राजस्व'' अनुविभाग रघुराजनगर जिला सतना.	बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्र. 1467-भूअर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	जूनापानी	2.556	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़,	जूनापानी तालाब के नहर निर्माण हेतु अर्जित भूमि का अर्जन.
राजगढ़	राजगढ़	जूनापानी का खेड़ा	0.462		
		कुल योग:	3.018		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

क्र. 1595-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	साड़ा (शिवराजपुर)	0.11	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	नहर के निर्माण बावत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1603-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	कपुरी पवाई	0.435	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 के अंतर्गत गढ़वा माइनर 0.435 हेक्टेयर में आने वाली भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1605-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	भरतपुर	0.03	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 के अंतर्गत गढ़वा माइनर 0.03 हेक्टेयर में आने वाली भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1607-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	कपुरी कोठार	0.119	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 के अंतर्गत गढ़वा माइनर 0.119 हेक्टेयर में आने वाली भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्र. 1612-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	चोरमारी	3.820	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्र. 11-12-प्र. क्र. 3-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त

धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक के प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	कुल रकवा	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रायसेन	सिलवानी	जामनपानी	76	0.531	0.109	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	सेमराखास सिंचाई योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
			81	2.043	0.286		
			77	1.076	0.215		
			229/109	0.121	0.020		
			230/111	0.498	0.102		
			88/1	0.216	0.041		
			90/2	0.999	0.238		
			94/1	0.416	0.062		
			95, 96 1	1.169	0.088		
			99/1	1.004	0.102		
			108	0.938	0.162		
			109	0.785	0.028		
			94/2	0.421	0.062		
			99/2	1.003	0.102		
			79	1.267	0.177		
			241/94	0.202	0.043		
			28/2,52,53, 55,214/52/1	4.047	0.252		
			54/1	0.247	0.014		
			75	0.870	0.237		
			80	0.918	0.204		
			218/79	0.769	0.190		
			88/2	0.254	0.040		
			90/1	1.214	0.122		
			91	0.733	0.082		
			92	1.943	0.136		
			100	0.858	0.143		
			138, 139 2	1.461	0.136		
			142/2,141/2 141/3	1.497	0.036		
			147/1/2	2.023	0.238		
			143	0.462	0.044		
			234/145	1.335	0.096		
		घोघरी	119	0.889	0.230		
			118	0.376	0.068		
			110	0.563	0.095		
			115	0.223	0.055		
			305/116	1.185	0.178		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		घोघरी	10	0.692	0.092		
			14	1.886	0.166		
			15	0.773	0.073		
			321/9	0.202	0.047		
			53	0.502	0.026		
			191	0.837	0.085		
			33	2.274	0.114		
			187/2	4.856	0.026		
			74/1/2	1.93	0.052		
			314/70	1.578	0.026		
			278	3.007	0.224		
			279	0.526	0.057		
			280	3.254	0.229		
			71	1.270	0.120		
			36	0.891	0.042		
			74/1/1	1.93	0.052		
			73	0.987	0.088		
			72	0.849	0.078		
			121	0.604	0.130		
			9	1.898	0.062		
			318/14	3.946	0.026		
			23	4.743	0.265		
			74/2	0.303	0.052		
			47/1	3.662	0.13		
			303/279	1.632	0.146		
			295/2	1.303	0.036		
			296/2	5.058	0.546		
			51	17.666	0.208		
		नारायणपुर	37/1	3.464	0.144		
			36/2	2.832	0.148		
			169/32	1.518	0.064		
			23/1	2.023	0.120		
			30/2	2.023	0.160		
			30/3	2.023	0.148		
			31	2.063	0.032		
			28	6.839	0.010		
			27/1/1	0.750	0.204		
			27/1/2	0.750	0.204		
			112/1	8.980	0.052		
			36/3	2.319	0.076		
			योग . .	139.199	8.893		

नोट.—भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मोहन लाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्र.-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	किरनापुर	कटंगी प.ह.नं. 35	0.170	कार्यपालन यंत्री, बैनगंगा संभाग, बालाघाट जिला बालाघाट (म. प्र.).	ढूटी बांयी तट मुख्य नहर के तहत कोतरी मायनर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र.-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनिय क्षेत्र (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	बालाघाट	भण्डारखोह-खुटिया प.ह.नं. 17	**निजी भूमि** 13.861 एवं **शासकीय भूमि** 5.094 कुल . . 18.955 संरचना सहित	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग, बालाघाट जिला बालाघाट (म. प्र.).	भण्डारखोह जलाशय के निर्माण एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन सर्वेक्षण उप संभाग बालाघाट जिला बालाघाट में देखा जा सकता है.

क्र.-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी

संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनिय क्षेत्र (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	बैहर	बम्हनी-हर्रानाला प.ह.नं. 29	**निजी भूमि** 1.848 एवं **शासकीय भूमि** 3.485 कुल . . 5.333 संरचना सहित	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग, बालाघाट जिला बालाघाट (म. प्र.).	हर्रानाला लघु सिंचाई के शीर्ष कार्य एवं दांयी-बांयी मुख्य नहरों का निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन सर्वेक्षण उप संभाग बालाघाट जिला बालाघाट में देखा जा सकता है.

क्र.-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनिय क्षेत्र (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	बैहर	छिन्दीटोला-फतेपुर प.ह.नं. 10	**निजी भूमि** 5.004 एवं **शासकीय भूमि** 0.109 कुल . . 5.113 संरचना सहित	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग, बालाघाट जिला बालाघाट (म. प्र.).	छिन्दीटोला जलाशय निर्माण एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन सर्वेक्षण उपसंभाग बालाघाट जिला बालाघाट में देखा जा सकता है.

क्र.-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को,

उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	लालपुर प.ह.नं. 33	**निजी भूमि** 0.050 संरचना सहित	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-3 कटंगी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट (म. प्र.)	राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत लालपुर मायनर क्रमांक 2 के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, स. क्र. 3, कटंगी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट में देखा जा सकता है.

क्र.-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	खैरलांजी	झिरिया प.ह.नं. 44/3	**निजी भूमि** 0.268 संरचना सहित	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-3 कटंगी, तहसील कटंगी जिला बालाघाट (म. प्र.)	राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत झिरिया मायनर क्रमांक 2 तथा सालेटेका मायनर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना स. क्र. 3, कटंगी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट में देखा जा सकता है.

क्र.-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक का प्रयोजन वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	खैरलांजी	झिरिया प.ह.नं. 44/3	0.491	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-3, कटंगी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट (म. प्र.)	राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत झिरिया मायनर क्रमांक 2 के निर्माण के लिये अतिरिक्त भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र.-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	खैरलांजी	अमई प.ह.नं. 44/3	0.080	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक-3 कटंगी, तहसील कटंगी जिला बालाघाट (म. प्र.)	राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत अमई मायनर निर्माण के लिये अतिरिक्त भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र.-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	तिरोडी	बम्हनी प.ह.नं. 04	0.044	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-3 कटंगी, तहसील कटंगी जिला बालाघाट (म. प्र.)	राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत बोनकट्टा मायनर निर्माण के लिये अतिरिक्त भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र.-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	किरनापुर	कोतरी प.ह.नं. 36	0.125	कार्यपालन यंत्री, बैनगंगा संभाग, बालाघाट जिला बालाघाट (म. प्र.)	टूटी बांयी तट मुख्य नहर के तहत कोतरी मायनर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

क्र. 7714-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-करवे पिपरिया ब.न.-47 प.ह.नं.-30 रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा-1.	95.500 हेक्टर एवं प्रस्तावित भूमि के रकबे पर आने वाली परिसम्पत्तियाँ.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंज व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्र. 1 सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7715-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-भूला ब.न.-436 प.ह.नं.-30 रा. नि.मं. छिन्दवाड़ा-1.	281.200 हेक्टर एवं प्रस्तावित भूमि के रकबे पर आने वाली परिसम्पत्तियाँ.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंज व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्र. 1 सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7716-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-जटलापुर ब.न.-183 प.ह.नं.-33 रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा-1.	47.200 हेक्टर एवं प्रस्तावित भूमि के रकबे पर आने वाली परिसम्पत्तियाँ.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्र. 1 सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7717-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-मोहगांव ब.न.-490 प.ह.नं.-29 रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा-1.	364.261 हेक्टर एवं प्रस्तावित भूमि के रकबे पर आने वाली परिसम्पत्तियाँ.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्र. 1 सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7718-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने

के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-नेर ब.न.-302 प.ह.नं.-28 रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा-1.	15.000 हेक्टर एवं प्रस्तावित भूमि के रकबे पर आने वाली परिसम्पत्तियाँ.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्र. 1 सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7719-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-मडुआढ़ाना ब.न.-222 प.ह.न.-02 रा.नि.मं.-चौरई	92.357 हेक्टर एवं प्रस्तावित भूमि के रकबे पर आने वाली परिसम्पत्तियाँ.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्र. 2 सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पेटलावद, दिनांक 28 जुलाई 2011

संशोधित अधिसूचना

क्र. 3407-भू-अर्जन-2011.—एतद्द्वारा साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 1386-87-भू-अर्जन-2010-झाबुआ, दिनांक 7-05-2011 द्वारा बेडदा तालाब के निर्माण के लिये ग्राम चारणपुरा की भूमि कुल रकबा 4.34 हैक्टर अधिग्रहित की गई थी. उसमें आंशिक संशोधन करते हुए रकबा 4.34 हैक्टर के स्थान पर अनुसूची के कालम नम्बर (6) में अंकित रकबा 4.21 हैक्टर पढ़ा जाए. शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.

अनुसूची

अनु. क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम	पूर्व में प्रकाशित रकबा (हैक्टर में)	संशोधित रकबा (हैक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	झाबुआ	पेटलावद	चारणपुरा	4.34	4.21

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्र. 01-अ-82-2010-11 सा-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
भोपाल	बैरसिया	सोहाया/धतूरिया	327 328	0.140 0.520	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) भोपाल उपसंभाग, भोपाल.	सोहाया-धतूरिया मार्ग पर बाह्य नदी पर बनने वाला पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.
			योग . .	0.660		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), बैरसिया कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्र. 18-भू-अर्जन-ए-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भोपाल

(ख) तहसील—बैरसिया

(ग) ग्राम—पिपलिया जुन्नारदार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.220 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
151	1.330
152	0.080
153	0.260
154	0.080
170	0.310
171	0.740
169	1.640
155	0.050
156	0.100
162	0.060
163	2.150
167	0.210
90	1.210
157	0.860
158	0.060
159	0.040
160	0.420
161	0.040
164	0.060
165	0.040
166	0.090
168	0.880
26	0.270
27	0.280
24	0.090
68	0.190
70	0.100
71	0.030
77	0.240
72	0.260
88	2.030
87	2.000
89	3.020
कुल :	19.220

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंजकुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 28 सितम्बर 2011

नस्ती क्र. 163-2010 एल.ए.-भू-अर्जन-प्र.क्र. 36-अ-82-09-10-**शुद्धि-पत्र**—.इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत केलवा वितरण शाखा की अतिरिक्त सब-माईनर के निर्माण हेतु ग्राम अटूटखास, तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू-अर्जन प्र. क्र. 36-अ-82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की

उद्घोषणा का प्रकाशन समाचार-पत्र पत्रिका में दिनांक 16-7-2010 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
	(1)	(2)	(1)	(2)
पत्रिका में दि. 16-7-2010	241/1	0.17	214/1	0.17

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 0.69 हे. यथावत रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 28 सितम्बर 2011

प्र.क्र. 17-अ-82 वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-7202.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—प्रभात पट्टन, प.ह.नं. 80
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.001 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
740	0.340
894/1	0.077
894/3	0.186
894/2	0.153
894/8	0.300
894/4	0.506
894/5	0.558
894/6	0.405
895	0.688
897	0.930
898	0.927
878/2	0.277
878/1	0.277
894/9	0.377
	कुल : 6.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पाबल लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 18-अ-82 वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-7203.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—पाबल, प.ह.नं. 79
(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.010 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
26/2	2.023
27	0.258
24	1.505
25	0.348

(1)	(2)
28	0.615
23/1	2.145
22	0.591
20	0.482
53	1.399
54/1	0.120
58/1	0.615
16	2.602
57/3	0.025
14/3	1.631
14/4	0.266
14/5	0.423
14/1	0.480
14/2	0.516
13	1.505
29	0.105
2/1	0.356
कुल :	18.010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पाबल लघु जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

बैतूल, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

प्र.क्र.-अ-82 वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-7287.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—करपा, प.ह.नं. 41
(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.464 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
599	0.243
596/8	0.023
603/1	0.162
604/4	0.048
596/12	0.400
603/2	0.174
598	0.040
592	0.813
593	0.639
594	0.243
595	0.255
614/3	0.157
600	0.210
608	0.040
601	0.206
606	0.040
605	0.722
614/2	0.750
614/1	0.527
623/1	0.300
623/7	0.143
624/1	0.103
626/1	0.668
628/3	0.155
628/5	0.295
628/12	0.208
623/2	0.300
628/6	0.149
628/9	0.309
623/3	0.300
623/5	0.142
628/4	0.120
628/7	0.190
628/11	0.209
623/4	0.270
623/9	0.085
626/2	0.668
628/1	0.025
628/10	0.209
621/1	0.301
623/6	0.176

(1)	(2)
628/8	0.209
621/4	0.150
623/8	0.058
624/2	0.103
629	0.570
733/2	0.056
734/3	0.063
734/1	0.162
579/1	0.125
579/2	0.300
579/3	0.460
579/4	0.480
579/6	0.275
579/5	1.020
573	0.180
576	0.040
578	0.140
577	0.275
569	0.020
567/2	0.100
566	0.040
589	0.008
583/2	0.024
604/2	0.110
604/1	0.048
596/9	0.250
602/3	0.055
602/5	0.164
602/4	0.055
602/1	0.164
602/2	0.056
596/10	0.216
733/1	0.014
574	0.020
572	0.020
575/1	0.049
575/2	0.089
571/2	0.068
590/4	0.100
590/3	0.050
586/2	1.000
604/3	0.061
कुल :	18.464

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—करपा लघु जलाशय बॉध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 3-अ-82 वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-7294.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—डोब, प.ह.नं. 69
(घ) लगभग क्षेत्रफल—34.021 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
127/4	0.178
148/2	0.323
132/10	0.008
149/2	0.112
63/3	0.041
318	0.024
147/9	0.080
101/2	0.696
320/1	0.046
82/2	0.010
43/1	0.043
44/8	0.444
44/1	0.405
42/1	0.980
144/7	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
132/8	0.081	62/8	0.219
101/3	0.701	62/6	0.184
75/2	0.305	62/12	0.884
45/3	0.400	128	0.308
127/6	0.081	77	0.514
147/13	0.150	149/1	0.334
23	0.008	147/14	0.145
44/2	0.303	27/1	0.004
101/1	1.020	27/6	0.004
127/1	0.142	89/4	0.008
143/6	0.178	85/3	0.012
129/1	0.162	12/5	0.004
42/2	0.196	12/8	0.008
82/1	0.004	12/2	0.008
148/1	0.322	134/1	0.081
72/1	0.202	127/2	0.250
45/4	0.400	144/9	0.405
63/2	0.057	63/1	0.202
102/1	0.215	83/3	0.016
148/3	0.322	91/4	0.162
125/1	0.101	147/8	0.012
143/7	0.178	102/4	0.170
127/3	0.140	147/15	0.142
129/2	0.142	76/2	0.101
43/2	0.700	68/3	0.685
143/2	0.303	15/1	0.081
47/3	0.068	67	0.579
38	0.101	64/5	0.061
91/1	0.887	62/9	0.379
102/5	0.186	66/2	0.450
147/16	0.154	144/5	0.465
147/11	0.061	102/6	0.004
93/4	0.303	90/1	0.016
75/1	0.150	89/5	0.008
68/2	0.489	62/14	0.472
66/1	0.966	62/16	0.472
92	0.280	62/11	0.212
43/3	0.300	103	0.809
14	0.008	44/1	0.162
95	1.540	78	0.121
147/17	0.012	102/3	0.183
89/2	0.004	319/1	0.037
86/2	0.095	22/1	0.030
62/10	0.312	89/1	0.004

(1)	(2)
29/1	0.061
86/1	0.058
17/5	0.004
12/7	0.008
150/1	0.121
150/2	0.121
127/5	0.081
45/2	0.680
81/2	0.012
44/6	0.020
82/4	0.006
147/12	0.162
147/7	0.004
79/2	0.109
76/1	0.101
27/5	0.004
21	0.004
80	0.089
127/7	0.251
62/15	0.472
74	0.421
102/2	0.004
20/2	0.012
85/2	0.018
62/7	0.088
62/5	0.612
79/1	0.110
62/13	0.472
145	1.910
72/2	0.537
93/2	0.587
147/10	0.075
319/3	0.037
13/2	0.004
28	0.008
85/1	0.028
86/3	0.162
12/1	0.008
13/1	0.008
81/1	0.012
320/2	0.041
144/8	0.500
142/7	0.465
योग :	34.021

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—डोब जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 4-अ-82 वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-7295.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—सिलादेही, प.ह.नं. 70
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.337 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/11	0.008
2/12	0.008
2/13	0.008
3/17	0.017
3/7	0.028
27/1	0.016
27/3	0.016
3/8	0.020
3/12	0.020
3/9	0.020
25/1	0.028
25/2	0.028
25/3	0.028
27/2	0.016
27/4	0.016

(1)	(2)
28/1	0.020
28/2	0.020
28/3	0.020
	योग : 0.337

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—डोब लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 5-अ-82 वर्ष 2008-09-भू-अर्जन-7293.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—इटावा, प. ह. नं. 36/133
(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.139 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
287	2.023
407	1.279
408/1	2.205
408/2	0.210
414	0.745
410	0.506
413	4.496
425	4.140
417/2	0.030
417/1	0.800
418	0.223
420	2.234
421	0.429
422/3	0.039
423/7	0.030
422/4	0.750
	योग : 20.139

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इटावा लघु जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 12-अ-82 वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-7288.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—सेन्द्रया, प. ह. नं. 45
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.070 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
390	1.481
381	0.012
385	0.158

(1)	(2)	(1)	(2)
391	0.854	274	0.275
392	0.680	300/1	0.057
403/1	0.340	215	0.036
404	0.251	219/1	0.016
409	0.251	273	0.409
406	0.186	389/1	0.134
410/1	0.211	384	0.073
403/2	0.750	382	0.101
403/3	1.100	383	0.080
403/4	0.380	339	0.012
410/2	0.470	337/2	0.019
410/3	0.950	48/18	0.028
300/2	0.048	48/21	0.036
219/2	0.017	207/3	0.024
402/2	0.060	48/17	0.016
299	0.089	48/20	0.036
233/3	0.020	207/4	0.024
234/3	0.036	337/4	0.018
410/4	0.410	48/15	0.020
410/5	0.400	207/2	0.024
410/6	0.620	310/2	0.030
410/7	0.649	209/2	0.013
419/1	0.320	327/2	0.004
421	0.769	333/2	0.004
422/2	0.121	264/6	0.053
422/6	0.263	255	0.057
422/8	0.341	235/1	0.085
422/11	0.065	250	0.061
422/10	0.350	249	0.024
422/7	0.609	248/1	0.010
422/9	0.240	247/2	0.010
297	0.021	213/3	0.018
422/5	0.505	220/1	0.140
422/3	0.385	248/2	0.010
422/4	0.323	220/2	0.011
424/1	0.125	334/2	0.004
422/1	0.045	247/1	0.010
424/3	0.037	334/1	0.008
424/6	0.050	246	0.041
424/7	0.020	320	0.008
424/5	0.025	245/2	0.115
424/2	0.181	245/4	0.112
424/4	0.117	199/2	0.056
295	0.174	199/14	0.050
326	0.032	199/3	0.073

(1)	(2)
199/8	0.032
199/5	0.052
199/9	0.016
48/16	0.008
48/19	0.036
207/1	0.024
47	0.008
206	0.093
332	0.020
208/1	0.032
208/2	0.018
208/4	0.028
208/3	0.016
209/3	0.015
208/5	0.032
209/1	0.013
211/5	0.073
214/5	0.170
216	0.117
217	0.025
218/1	0.008
218/2	0.008
218/3	0.009
309	0.100
327/1	0.020
333/1	0.012
328	0.024
321	0.008
322/8	0.008
310/3	0.027
331	0.020
334/3	0.004
335	0.008
कुल :	19.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सेन्द्रया लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 19-अ-82 वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-7290.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—मुलताई

(ग) नगर/ग्राम—सोनोरा, प.ह.नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.873 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
292/1	0.107
292/3	0.061
291	0.028
288/2	0.211
288/3	0.028
288/4	0.130
288/7	0.042
287/1	0.046
287/2	0.046
286	0.065
285	0.069
178	0.020
179/3	0.020
कुल :	0.873

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खड़आमला लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 20-अ-82 वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-7291.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—खड़आमला, प.ह.नं. 22
(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.475 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
271	0.389
300/2	0.343
265	0.364
269/1	0.077
302/2	0.361
305	0.036
261/1	0.210
196	0.400
264/2	0.080
183	0.140
260	0.931
298	0.090
300/1	1.352
270	0.251
302/1	0.340
268	0.154
260	0.931
264/1	0.081
201	0.089
261/2	0.209
192	0.013
304	0.834
266	0.526
263	0.526
301	1.092
269/2	0.077
267	0.324
304	0.834
303/1	0.400
264/3	0.064
261/3	0.209
191	0.062
188	0.100
185	0.234
306	0.206
195	0.100
186	0.146
308/3	0.979
337	0.800
277	0.228
280/4	0.139
281	0.167
284/1	0.195
194/1	0.020
194/3	0.120
279/1	0.162
262/2	0.405
295/5	0.243
197	0.206
184/1	0.146
308/4	0.405
295/4	0.060
280/1	0.328
282	0.181
283/1	0.020
285	0.097
184/2	0.178
194/4	0.100
258/1	2.323
199	0.243
200	0.400
308/2	0.712
303/2	0.400
296/1	0.299
278	0.015
283/2	0.144
284/2	0.029
280/3	0.016
194/2	0.040
194/5	0.100
कुल :	22.475

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खड़आमला जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

बैतूल, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

प्र.क्र.15-अ-82 वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-9430.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—हिड़ली, प.ह.नं. 41
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.622 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
276/1	0.344
275/1	0.117
275/2	0.105
260	0.202
271/2	0.202
271/4	1.214
266/2	1.566
266/6	0.100
266/11	0.283
266/14	0.263
269/8	0.153
256/1	0.226
246	0.072
236/3	0.080
233/4	0.161
286	0.060
283/2	0.101
280	0.344
246/2	0.060
266/10	0.089
274/2	0.091
278/2	0.368
274/1	0.091
256/4	0.850
256/10	0.769
271/5	0.405
266/3	0.255
266/5	0.121
266/12	0.303
266/15	0.141
269/1	0.060
247/2	0.938
235	0.080
233/2	0.182
232	0.141
285	0.498
279	0.194
266/23	0.040
233/1	0.419
276/2	0.030
276/3	0.158
278/1	0.462
259	0.170
271/3	0.202
266/1	0.506
266/4	0.080
266/7	0.566
266/13	0.243
266/16	0.048
269/11	0.048
247/3	0.372
240	0.890
233/5	0.161
288	0.502
284	0.048
282	2.064
248/2	0.931
266/9	0.453
कुल :	19.622

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बोरगांव जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 16-अ-82 वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-9428.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—बोरगांव, प.ह.नं. 29
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.442 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
435	0.067
430	0.016
426	0.028
429	0.047
419/2	0.031
410	0.028
405/1	0.008
384/2	0.024
205/5	0.087
223	0.016
227/3	0.016
436	0.075
423	0.035
427	0.024
421/1	0.126
419/1	0.020
409	0.016
405/2	0.008
385/1	0.043
222/2	0.106
227/1	0.130
377/2	0.052
434	0.008
425	0.032
428	0.043
420	0.051
411	0.060
400	0.028
384/1	0.024
378/1	0.063
222/1	0.087
227/2	0.043
	कुल : 1.442

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बोरगांव जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 22-अ-82 वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-9429.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—घाना, प.ह.नं. 71
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.371 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
97	0.891
87/1	0.691
89/2	0.222
111/1	0.945
109/1	2.650
144/1	0.080
132	0.024
142/2	0.286
161/1	0.033
145	0.038
89/1	0.283
133	0.010
87/2	0.405
111/2	0.243
109/2	1.215.
131/2	0.052
142/1	0.094
142/3	0.143
161/2	0.033
80	0.033
	कुल : 8.371

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—झिरी लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

क्र.1597-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—बाघड़ धवैया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.120 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
808	0.010
734	0.060
814	0.010
823	0.020
825	0.020
	कुल : 0.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—शिकारगंज वितरक नहर क्र. 1 में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.1599-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—गड़हरा राघोभान सिंह
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.05 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
866	0.05
	कुल : 0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—शिकारगंज वितरक नहर क्र. 1 में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1601-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—बाघड़खास
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.04 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
448	0.03
465	0.01
	कुल : 0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 की शिकारगंज शाखा नहर में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1579-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम—घुंघचिहाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.026 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
निजी खाता	
767/2	0.026
	कुल : 0.026

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1581-प्रशा.-भू-अर्जन-2006-07-सतना.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—कोटर

(ग) ग्राम—देवमऊ दलदल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 13.186 हेक्टेयर.
शासकीय भूमि 0.302 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
निजी भूमि	
2031	0.038
2027	0.053
2026	0.170
2122	0.113
2121/2	0.061
2125/1	0.118
2119	0.065
2117	0.089
2118	0.057
2894/1	0.035
2894/2	0.035
2894/3	0.035
2895	0.105
2896	0.073
2897	0.012
2898/1क	0.040
2898/1ख	0.081
2899/1क/2	0.012
2900/1क/1	0.034
2900/1क/2	0.034
2900/1ख	0.035
2900/2	0.035
2901/1, 2901/2, 2901/3, 2901/4, 2901/5, 2901/6	0.101
2879/3	0.032
2878	0.138
2881/3	0.020
2818	0.227
2790/1	0.091
2790/2	0.075
2792	0.020
2779	0.080
2778/1, 2778/2	0.049
2775	0.065
2776	0.040
2762	0.040
2760	0.012
2761	0.012
1953/1	0.012
1953/2	0.012
1952/2	0.118
1912	0.170
1911/2	0.410
1904/1	0.130
1904/2	0.090
1902/1ख/1	0.055
1902/1ख/2	0.054
1902/1ग	0.054
1901/1	0.040
2167/2	0.113
2166/2	0.097
2173	0.020
2174	0.097
2175	0.109
2184	0.016
2178	0.040
2176	0.074
2177	0.081

(1)	(2)
2180	0.109
2224	0.024
2223/1	
2223/2	
2223/3क	
2223/3ख	
2223/3ग	
2223/3घ	
2223/3ड़	
2223/3च	
2223/4	
2223/5	
2223/6	0.724
2223/7	
2223/8	
2223/9	
2223/10क	
2223/10ख	
2223/11	
2223/12	
2223/13	
2223/14	
2223/15	
2271	0.015
2272	0.050
2273	0.081
2274/1	0.074
2264/2	0.028
2265/1	0.064
2265/2	0.033
2267	0.020
3833	0.097
2261/1क/1	0.024
2262/1क/1	0.150
2262/2क/1	0.075
2262/3	0.075
2259/1	0.016
2322	0.053
2323	0.300
2344	0.093
2343/1क	0.117
2343/1ख	0.117
2343/3क	0.116
2343/3ख	0.116

(1)	(2)
2342	0.020
2336	0.040
2493/1	0.113
2326	0.024
1659/1	0.060
1672/1	0.647
1635/1	0.016
1673	0.085
1674	0.053
1676	0.048
1724	0.263
1633/3	0.040
1289	0.028
1302	0.012
1303/1	0.063
1303/2	0.062
1623/3806/1	0.110
1623/3806/2ख	0.029
1623/3806/3	0.028
1623/3806/5	0.055
1622/4क	0.022
1624/3	0.020
1599/1क	0.041
1599/2	0.040
1598/2	0.055
1598/4	0.054
1597/2	0.047
1597/3	0.046
1736	0.109
1595	0.044
1737/3	0.045
1738/1	0.052
1742	0.113
1740	0.008
1741/1	0.109
1750/1	0.178
1751	0.040
1752/1	
1752/2	0.016
1752/3	
1753	0.097
1755/2	0.073
1361/2	0.081
1278	0.044

(1)	(2)
1281	0.073
1280/2	0.028
1282/2	0.077
1290	0.243
1358	0.101
1359	0.048
1360	0.032
29/1	0.060
32/2क	0.032
57/1क/1	0.090
57/4	0.101
58/1	0.016
192/2क	0.073
192/2ख	0.073
192/3	0.073
192/4	0.073
186/1ख	0.089
187/1क	0.101
187/2	0.101
188/2	0.077
189/3ख	0.004
190/1	0.034
190/2	0.075
191	0.077
222/1	0.075
222/2	0.070
220/1	0.080
220/2ख	0.029
281/1	0.057
284/1	0.008
216	0.109
285/1	0.012
288/4	0.077
289/2ग	0.024
193/3778/1	0.020
193/3778/2क	0.080
193/3778/3क	0.086
194	0.117
195	0.105
196/1	0.097
197/1	0.130
199/1क	0.028
200	0.085
201	0.061
110/2	0.080
113/2	0.180
कुल योग :	13.186

मध्यप्रदेश शासन

2120	0.028
1963	0.028
1634	0.089
57/2ख	0.04
192/1	0.081
215	0.012
287	0.008
193/3778/3ख	0.016
कुल योग :	0.302

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

प्र.क्र. 11-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—दमोह
(ग) ग्राम—सिमरी कीरत
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.50 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहण किये जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
81	0.09
106	0.32
109/1	0.06
109/2	0.48
110	0.55
	योग : 1.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कोपरा एनीकट जल संवर्धन एवं वाढ़ नियंत्रण योजना दमोह कार्य के उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, दमोह एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

प्र.क्र. 03-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन
(ख) तहसील—उदयपुरा
(ग) ग्राम—बेरखेड़ी, सिमरिया एवं कुकरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.058 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किए जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
	ग्राम—बेरखेड़ी	
37/2	0.919	0.086
37/1	0.919	0.126
22/2/2	0.303	0.076
22/2/1	0.899	0.090
31	1.716	0.144
29/1	3.258	0.191
73/2	1.954	0.169
73/1	3.615	0.011
67	3.153	0.252
65	2.537	0.184
110/1	1.821	0.119
110/2	1.421	0.115
109	1.404	0.162
146	0.501	0.011
183/1/1	9.635	0.169
183/2/1	1.619	0.270
142/1	1.595	0.065
142/2	1.088	0.079
142/3	2.918	0.198
143	1.404	0.112
149	3.177	0.097
151	2.719	0.180
150	0.793	0.097
	ग्राम—सिमरिया	
18/1	2.351	0.043
18/2	1.619	0.032

(1)	(2)	(3)
13/1	3.225	0.144
13/2	1.071	0.061
11/2	2.023	0.191
9/1	2.857	0.148
9/2/1	1.534	0.083
9/2/2	1.619	0.083
8	2.509	0.133
38/3	1.805	0.133
38/2	3.405	0.201
38/1	3.405	0.241
67/1	3.238	0.097
67/2	1.703	0.094
67/3	3.238	0.090
66	0.745	0.090
	ग्राम—कुकरा	
107	2.602	0.191
	कुल योग : 5.058	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कुकरा जलाशय नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बरेली, जिला रायसेन के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

क्र. 6660-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 02 अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नीमच
(ख) तहसील—जावद
(ग) नगर/ग्राम— केनपुरिया, अठाना, आसनदरियानाथ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—28.209 हेक्टेयर 0.326 हेक्टेयर 0.630 हेक्टेयर

ग्राम—केनपुरिया (डूब भूमि/बांध निर्माण)

सर्वे नंबर	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20	0.199
	0.010
21/1	0.125
21/2	0.136
53/2 पे.	0.700
53/2 पे.	0.021
24	0.272
59/1	0.627
59/3	0.209
6/1मी/2	0.313
22	0.272
23	0.063
48, 49	0.606
50	0.397
52	0.366
26, 27/1	0.700
28	0.115
29/1	0.052
54/1 पे.	1.170
59/4	0.732
53/2 पे.	0.418
59/3 पे.	0.365
27/2	0.376
29/2	0.167
51	0.167
36, 37	0.209
33, 34	0.680

(1)	(2)
45/2	0.449
31	0.439
32	0.439
45/1	0.418
38	0.084
41 पे.	0.345
43/2	0.240
44/2	0.334
47	0.146
43/1	0.261
44/1	0.418
53/1 पे.	1.035
	0.010
53/1 पे.	0.617
53/2 पे.	0.523
55 पे.	0.742
55 पे.	0.627
	0.402
58	0.040
	0.060
6/1	1.757
	0.020
59/1 पे.	0.418
59/2	0.836
59/3 पे.	0.523
59/3 पे.	0.523
59/3 पे.	0.512
	0.010
59/6 पे.	0.523
8/2	0.418
8/3 पे.	0.104
18/2 मी.	0.157
18/2 मी.	0.261
8/3 मी.	0.078
8/3 मी.	0.078
8/1	0.836
18/3	0.575
6/2	1 152
	0 050
18/3/1	0 235
18/3/3	0 235
15/2	0.627
16/2	1 045
कुल योग :	28 069

(1)	(2)
ग्राम—केनपुरिया (नहर निर्माण)	
54/2	0.110
54/1 पे.	0.030
कुल रकबा :	0.140
ग्राम—अठाना (नहर निर्माण)	
493/1 पे.	0.084
493/1 पे.	0.047
493/1 पे.	0.055
466/1 पे.	0.063
466/1 पे.	0.051
466/1 पे.	0.026
कुल रकबा :	0.326
ग्राम—आसनदरियानाथ (नहर निर्माण)	
29	0.024
30	0.040
45	0.018
32	0.098
31	0.090
38	0.045
39	0.029
40	0.029
41	0.036
42	0.031
43	0.027
44	0.043
46	0.040
27	0.020
47	0.020
48	0.040
कुल रकबा :	0.630

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम केनपुरिया, अठाना एवं आसनदरियानाथ, तहसील जावद, जिला नीमच में केनपुरिया तालाब एवं नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 22 सितम्बर, 2011

क्र. 1287-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-बी).— न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में पाँच दिवसीय प्रशिक्षण "Application of Information and communication Technology to District Judiciary", जो दिनांक 17 अक्टूबर 2011 से 21 अक्टूबर 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 17 अक्टूबर 2011 को प्रात:काल ठीक 09:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत् होंगी :—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 17 अक्टूबर 2011 को प्रात:काल ठीक 09.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. टी. ए. एवं डी. ए. वेतन शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रात:काल तक उपलब्ध रहेगी. अत: न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रात:काल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

8. (1) न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computer with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई-कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया ''लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका'' भी साथ लेकर आवें.

(2) प्रशिक्षण में शामिल पृष्ठांकन में दर्शित ऐसे न्यायिक अधिकारी जो यह महसूस करते हैं कि वे कम्प्यूटर ज्ञान से भिज्ञ हैं एवं उन्हें लेपटॉप प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में समय रहते सीधे प्रशिक्षण संस्थान को सूचित करें, ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके.

(3) ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनके लेपटॉप कार्यरत अवस्था में नहीं है अथवा गुम हो गये हैं, जो उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में अपना प्रतिवेदन संस्थान को समय रहते प्रेषित करें, ताकि अन्य व्यवस्थाएं की जा सकें.

9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2011

क्र. C-7940-दो-2-11-2004.—श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 11 से 13 जुलाई 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-7938-दो-2-16-2002.—श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 27 से 30 जुलाई 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 जुलाई 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2572-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 4 से 9 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A-2569-दो-2-27-2011.—श्री जे. पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 28 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. माहेश्वरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2567-दो-2-73-2000.—श्री सी. व्ही. सिंरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 26 से 28 जुलाई 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. सिंरपुरकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. व्ही. सिंरपुरकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2565-दो-2-45-2011.—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 8 से 12 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 अगस्त 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 13, 14 एवं 15 अगस्त 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A-2562-दो-2-65-2010.—श्री एन. डी. पटले. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 3 से 10 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. डी. पटले जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. डी. पटले उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2011

क्र. A-2605-दो-2-49-2007.—श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 23 से 26 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कुमार शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरीश कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-8006-दो-2-25-2011.—श्री आर. के. गोस्वामी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 18 से 20 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-8010-दो 2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 16 से 20 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 अगस्त 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-8012-दो-2-41-2000.—श्री ए. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 26 से 30 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-8020-दो-2-17-2011.—श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 26 जुलाई से 3 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कुमार शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरीश कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-8022-दो-2-49-2007.—श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 12 से 18 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कुमार शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरीश कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-8024-दो-2-18-ए-2009.—श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 5 से 9 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 सितम्बर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 10, 11 एवं 12 सितम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-8026-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 2 से 4 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-8028-दो-3-36-2003.—श्री आर. पी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 1 से 3 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-8030-दो-2-129-2006.—श्रीमती आशा भटनागर, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 16 से 20 अगस्त, 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13, 14 एवं 15 अगस्त 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 अगस्त 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशा भटनागर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशा भटनागर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 22 सितम्बर, 2011

क्र. 1285-गोपनीय-2011-दो-3-94-2011.—सुश्री मंजुल दुबे, तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर का विवाह श्री मुकेश पाण्डेय के साथ होने के फलस्वरूप, उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम ''सुश्री मंजुल दुबे'' के स्थान पर ''श्रीमती मंजुल पाण्डेय'' पति श्री मुकेश पाण्डेय परिवर्तित करने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, (सैट) जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 सितम्बर, 2011

क्र. 318-स्था.सेट-2011.—श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 7 से 17 जून 2011 तक कुल ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश काल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निजी सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. अतः अवकाश अवधि दिनांक 7 से 17 जून 2011 को मूलभूत नियम 25(ब) (2) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार कम पी. पी. एस.